

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुझुनू
पीठासीन अधिकारी श्री सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

जीसीएमएस नं. 2025/317

मुकदमा नम्बर 89/2025

दर्ज दिनांक— 05.06.2025

राजकुमार पुत्र श्री जीनकूराम, जाति कुम्हार, निवासी जाखल, तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनू

—आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

—अनावेदक

वकील आवेदक : — श्री नरेन्द्र सिंह शेखावत

वकील अनावेदक :- पैरा. राज.

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश ::

निर्णय दिनांक 10.09.2025

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अध्या 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम जाखल पटवार हल्का जाखल तहसील नवलगढ़ की सरहद में भूमि खाता सं. नया 249 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 631 रकबा 1.05 है० के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र पुत्र जीनकूराम की जगह राजकुमार पुत्र जीनकूराम दर्ज किया जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदक कि जारी की गई। अनावेदक की ओर से जरिये पैरा. राज. रिपोर्ट क्रमांक/भूअ./25/8756 दिनांक 15.07.2025 पेश हुई।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई। मुताबिक तहसीलदार नवलगढ़ कि रिपोर्ट क्रमांक/भूअ./25/8756 दिनांक 15.07.2025 के अनुसार आवेदक का प्रा. पत्र साबित पाया जाता है।

लिहाजा आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम जाखल पटवार हल्का जाखल तहसील नवलगढ़ की सरहद में भूमि खाता सं. नया 249 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 631 रकबा 1.05 है० के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र पुत्र जीनकूराम की जगह राजकुमार पुत्र जीनकूराम दुरुस्त कर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

सुलभ संदर्भ हेतु तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट क्रमांक/भूअ./25/8756 दिनांक 15.07.2025 उक्त आदेश का भाग होगी।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरुस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 16.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ
जिला-झुञ्जुनू